राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान,जयपुर

क्रमाकः– अराजपत्रित / भर्ती प्रकोष्ठ / म0स्वा0कार्य0 / सीधी भर्ती 2018 / 2019 / 41   दिनाकः– 14.12.2019

महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (गैर अनुसूचित क्षेत्र) सीधी भर्ती–2018

अंतरिम वरीयता सूची

निदेशालय द्वारा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (गैर अनुसूचित क्षेत्र) के 4965 पदों को भरे जाने हेतु विज्ञप्ति क्रमांक नर्सिंग / म0स्वा0कार्य0 / एमएनआईटी / (सीधी भर्ती–18) / 2018 / 1363 दिनाक 18 06 2018 जारी कर भर्ती एजेन्सी के माध्यम से दिनांक 22.06.2018 से दिनांक 23.07.2018 तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किये गये थे एवं माननीय न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न आदेशो की पालना मे ऑफलाइन आवेदन स्वीकार किये गये थे। विज्ञापित पदो का वर्गवार विवरण निम्न प्रकार है –

क्र.सं.	वर्ग	कुल पदों की संख्या
1.	अनारक्षित	2487
2.	अनुसूचित जाति	787
3.	अनुसूचित जनजाति	590
4.	अन्य पिछडा वर्ग	1031
5.	अति पिछडा वर्ग	48
6.	सहरिया	22
कुल		**4965**

रोस्टर के अनुसार कुल पदों की सख्या व कटऑफ निम्नानुसार है.–

वर्ग	पद	सामान्य महिला	विधवा	परित्यकता	कट ऑफ प्रतिशत	जन्म तिथि
अनारक्षित	2487	2240	198	49	51.692	02.06.1993
अनुसूचित जाति	787	710	62	15	43 334	05.07.1994
अनुसूचित जनजाति	590	532	47	11	41.334	07.06 1992
अन्य पिछडा वर्ग	1031	929	82	20	50 004	05 06.1991
अति पिछडा वर्ग	48	44	4	0	48 859	15.07.1990
सहरिया	22	20	2	0	40.559	10.07.1992
कुल	**4965**	4475	395	95		

Computer L/ Dextop/ANM/wordfile/notesheet/

उक्त विज्ञप्ति के संदर्भ में ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आवेदनकर्ता अभ्यर्थियों द्वारा भरे गये डेटा एवं अधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र अनुसार बोनस के आधार पर दिनांक 3.06.2019 से 19.06.2019 तक एवं इनमें अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को एक और अवसर देते हुए दिनांक 1, 2 व 19 जुलाई 2019 को आमंत्रित कर ऑनलाइन 9000 एवं ऑफलाइन 1342 अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन का कार्य सम्पादित किया गया तथा माननीय न्यायालय के आदेशों से 33 अन्य अभ्यर्थियों का भी दस्तावेज सत्यापन किया गया। इस प्रकार कुल उपस्थित 10375 अभ्यर्थियो में से अतरिम वरीयता सूची भर्ती एजेन्सी द्वारा तैयार की गई है।

दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची पर परिवेदनाएं आमंत्रित की गई थीं, जिसपर प्राप्त कुल 544 ऑनलाइन परिवेदनाओं का सक्षम स्तर से निस्तारण किया गया। जारी की जाने वाली अन्तरिम वरीयता सूची (Provisional Merit List) तैयार करने में प्रचलित भर्ती नियमों/आरक्षण/माननीय न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों/अन्य संबंधित नियमो/नीति निर्धारण समिति के निर्णयों का ध्यान रखा गया है जो निम्नानुसार है–

1. दिनाक 16.10.2019 को विभागीय बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में आवश्यकतानुरूप माननीय न्यायालय के आदेशों व अन्य कारणों से जो पद सुरक्षित रखे जाने हैं उनके अतिरिक्त 176 और पद (50 सामान्य + 85 ओ.बी.सी. + 15 एस.टी. + 20 एस.सी. + 5 पद सहरिया + 1 पद एम.बी.सी.) परिवेदनाओं एवं अन्य न्यायिक प्रकरणों तथा अत्कृष्ठ खिलाडी आरक्षण कोटा के विरूद्ध अन्तरिम वरीयता सूची (Provisional Merit List) मे सुरक्षित रखे गये है जिनका प्रकाशन अंतिम चयन सूची के साथ किया जायेगा।

2. विज्ञापित पदों मे अति पिछडा वर्ग (MBC) को 1 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर पदों का निर्धारण किया गया था, लेकिन विधि (विधायी प्रारूपण विभाग की अधिसूचना दिनांक 13.02.2019 के द्वारा अति पिछड़ा वर्ग (MBC) हेतु देय 5 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अति पिछडा वर्ग (MBC) हेतु 4 प्रतिशत अतिरिक्त पदों के सृजन हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जिसकी स्वीकृति प्राप्त होने पर वर्तमान में प्रकाशित असफल रहे (नॉन सलेक्टेड) अभ्यर्थियों की सूची में से अति पिछडा वर्ग (MBC) के योग्य अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ प्रदान करते हुए मेरिट अनुसार 4 प्रतिशत नवसृजित पदों पर स्थान बनााने मे सफल रहे अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन अलग से किया जायेगा।

3. राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 यथा सशोधित नियमों के नियम–19 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार संबंधित अधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्रों को सत्यापित किये जाने के उपरान्त प्रशासनिक विभाग के आदेश क्रमांकः आई.डी. 1133/चिस्वा./ग्रुप–3/2018 दिनांक 24.05.2018 के अनुसार अभ्यर्थियो को नियमानुसार बोनस अंकों का लाभ दिया गया है।

4. इस भर्ती बाबत् माननीय न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों से सम्बन्धित याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं में से ऐसे अभ्यर्थी जो माननीय न्यायालय के निर्णय से भर्ती प्रकिया में सम्मिलित किये गये एवं अंतरिम वरीयता सूची में स्थान पाने हेतु प्रतिस्पर्धा में स्थान बना पा रहे हैं, माननीय न्यायालय के निर्णयों व विभागीय पक्ष को ध्यान में रखते हुए उनका भर्ती परिणाम जारी नहीं किया जा रहा है।

5. जामिया उर्दू, अलीगढ से 10वी की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना में भर्ती प्रकिया में सम्मिलित करते हुए इनका परिणाम रोका गया है। शेष अन्य

सैकण्डरी बोर्ड की अंकतालिकाओं में प्राप्तांकों की गणना व मान्यता के सम्बन्ध विभिन्न बोर्डो से प्राप्त निर्देशों का अनुसरण किया गया है।

6. राजस्थान नर्सिंग कौंसिल में पंजीकरण के संबंध में रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयुपर से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का सत्यापन कराया जाकर पंजीयन मान्य अथवा अमान्य किया गया है। इस संबंध में एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 13299/2017 मंजू देवी बनाम सरकार व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.12.2017 के अनुसार आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व रजिस्ट्रेशन के लिये यदि आवेदन कर दिया गया है और दस्तावेज सत्यापन प्रारम्भ होने की तिथि तक प्राप्त हो गया है, तो मान्य किया गया है।

7. विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में चिकित्सा मण्डल, राजकीय आर.डी.बी.पी. जयपुरिया चिकित्सालय एवं सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर केवल ओ–एल (One Leg) श्रेणी के विशेष योग्यजन को नियमानुसार आरक्षण का लाभ दिया गया है। ओ–एल (One Leg) श्रेणी से भिन्न श्रेणी का होने पर भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित नही किया गया है।

8. नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 6.9.19 में लिये गये निर्णय के क्रम में अनुभव प्रमाण पत्र में दर्शायी गई उस अनुभव अवधि को कम कर दिया गया है जो अभ्यर्थियों द्वारा राजस्थान नर्सिंग कौन्सिल, जयपुर में बिना पंजीयन कराये नौकरी हासिल कर लेने के कारण प्राप्त कर ली गई थी। इस बाबत राजस्थान नर्सिंग कौन्सिल, जयपुर से प्राप्त डेटा के आधार पर कार्यवाही की गई है।

9. एस.बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 11379/2019 एवं डी.बी सिविल रिट याचिका 13639/2018 पर माननीय न्यायालय के निर्णयों के क्रम में अन्य राज्यो में एन.एच.एम. योजना में कार्यरत अभ्यर्थियों को अनुभव के आधार पर बोनस का लाभ नहीं दिया गया है।

10. एस.बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 13690/2018, 13750/2018 एव 13902/2018 पर माननीय न्यायालय के निर्णय के क्रम में अन्य राज्यों मे चिकित्सा विभाग के अर्तगत कार्यरत अभ्यर्थियों को अनुभव के आधार पर बोनस का लाभ नहीं दिया गया है।

11. इसी प्रकार रिट यचिका संख्या 12788/2018 में माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 4.9 19 के अनुरूप कार्यवाही करते हुए अन्य विभागों/अन्य पदों पर कार्यरत कार्मिकों को अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है।

12. भर्ती हेतु आवेदन के समय एवं दस्तावेज सत्यापन के समय भी अभ्यर्थियों मे संतानों की संख्या के सम्बन्ध में भ्रामक स्थिति बनी रहने के कारण 01.06.2002 से पूर्व तीन या अधिक सन्तान दर्शाये होने की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थियों को अभी भर्ती प्रक्रिया में इस शर्त पर सम्मिलित किया गया है कि ऐसे अभ्यर्थियों को अन्तिम जन्मी सन्तान का जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा इनको अतिम वरियता सूची में सम्मिलित किये जाने पर विचार किया जाना संभव नहीं हो सकेगा।

13. जिन अभ्यर्थियों का भर्ती परिणाम किसी दस्तावेज/प्रमाण प्रस्तुत करने की शर्त के अध्याधीन जारी किया जावेगा उन्हे सम्बंधित दस्तावेज/प्रमाण अंतिम वरीयता सूची के पूर्व प्रस्तुत करना होगा जिसके आधार पर अंतिम वरीयता सूची में सम्मिलित किये जाने पर विचार किया जावेगा।

14. पी.पी.पी. मोड पर कार्यरत अभ्यर्थियों को माननीय न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में अनुभव के आधार पर बोनस का लाभ दिया जाकर अंतरिम वरीयता सूची मे सम्मिलित किया गया है, किन्तु विभागीय पक्ष के मद्देनजर इनका परिणाम प्रकाशित नही किया जा रहा है।

15. दस्तावेज सत्यापन सूची पर प्राप्त परिवेदनाओं पर कार्यवाही करते हुए ऐसे अभ्यर्थी जो किसी कारणवश दस्तावेज सत्यापन सूची में सम्मिलित नहीं किये जा सके उन्हे अंतरिम वरीयता सूची की प्रकिया में सम्मिलित तो किया गया है, किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों का यदि अतरिम वरीयता सूची में स्थान बनता है तो यह स्थान दस्तावेज सत्यापन के अध्याधीन होगा।

16. माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 10481/2019 पर दिये गये निर्णय के क्रम में सभी अभ्यर्थियों के प्राप्ताक प्रतिशत अंकों का डेटा नियुक्ति पूर्व जारी किया जाना है। इस सम्बन्ध में दिनाक 27.05.2019 को जारी दस्तावेज सत्यापन के नोटिस में उल्लेखितानुसार दस्तावेज सत्यापन उपरान्त अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रपत्र में भरे गये डेटा मे आवश्यक संशोधन करने के उपरान्त प्राप्त डेटा अनुसार संशोधित कटऑफ का प्रकाशन भी अन्तरिम वरीयता सूची (Provisional Merit List) के साथ किया जा रहा है।

17. दस्तावेज सत्यापन में भाग लेने वाले ऐसे अभ्यर्थी जो इस अन्तरिम वरीयता सूची (Provisional Merit List) में स्थान बनाने में असफल रहे है, उनका योग्यता व प्राप्ताकों संबंधित डेटा भी पृथक से प्रकाशित किया जा रहा है।

18. योग्य नहीं पाये गये अभ्यर्थियों की सूची का भी प्रकाशन मय अयोग्य घोषित किये जाने के कारण के प्रकाशित किया जा रहा हैं।

19. जिन अभ्यर्थियों का भर्ती परिणाम किसी भी कारण से रोका गया है, उनकी सूची का भी प्रकाशन किया जा रहा है।

20. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील यचिका संख्या 8425/2013 पर दिये गये निर्णय के कम में अन्य राज्यों की ऐसी महिलाएं जिनका विवाह राजस्थान में हुआ है एवं वे महिलाऐं जो राजस्थान राज्य की निवासी हैं, किन्तु जिनके दस्तावेजो मे राजस्थान राज्य के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी ऐसा कोई प्रमाणपत्र नही दिया गया हो जिसमें उनके पिता की जाति का उल्लेख हो, उन्हे आरक्षण के सामान्य नियमों को अपनाते हुए सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया है।

21. विधवा/परित्यकता श्रेणी का लाभ दिये जाने के संबध में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 13409/2019 निरमा कुमारी धाकड बनाम सरकार व अन्य में दिनांक 18.09.2019 को पारित आदेश में आवेदन करने की तिथि तक प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर ही इस श्रेणी के अभ्यर्थियों को लाभ दिये जाने का निर्णय दिया है। अतः तद्नुरूप समानता अपनाते हुए ऐसे सभी अभ्यर्थियों हेतु भी माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुरूप ऑन लाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक ही विधवा/परित्यक्ता श्रेणी मे आरक्षण का लाभ दिया गया है।

22. उत्कृष्ठ खिलाडी संवर्ग में प्राप्त आवेदनों का कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.19 के क्रम में सबंधित संस्था से पुनः पुष्टिकरण कराया जाना होगा। अत. ऐसे सभी अभ्यर्थियो को अपने खेलकूद सम्बन्धी प्रमाणपत्र कार्मिक विभाग की अधिसूचना में उल्लेखित खेल सस्थानो के सक्षम प्राधिकारी से प्रमाणित कराते हुए प्रस्तुत करने पर इस श्रेणी में आरक्षण का लाभ प्रदान किया जायेगा। अतः वर्तमान में इस संवर्ग के अन्तर्गत पद सुरक्षित रखते हुए अंतरिम वरीयता सूची प्रकाशित की जा रही है।

23. माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना में उपर उल्लेखित जिन 33 अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन किया गया है। किन्तु इन अभ्यर्थियों के कटऑफ प्रतिशत दस्तावेज सत्यापन के कटऑफ प्रतिशत से कम होने के कारण इन्हें प्रकिया मे आगे सम्मिलित नहीं किया गया है।

24. माननीय न्यायालय निर्णय की पालना में दिनांक 16.12.19 को दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होने वाली अभ्यर्थी ममतेश कुमारी शर्मा का परिणाम दस्तावेज सत्यापन पश्चात अन्तिम वरियता सूची के प्रकाशन के समय किया जायेगा।

25. यह अंतरिम वरीयता सूची कोई चयन या नियुक्ति सूची नहीं है। इसमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है।

26. यह अंतरिम वरीयता सूची माननीय न्यायालयों मे विचाराधीन विभिन्न प्रकरणो में पारित अंन्तिम निर्णयों के अध्याधीन रहेगी।

27. इस अंतरिम वरीयता सूची पर दिनांक 20.12.2019 तक ऑनलाइन परिवेदनाएं आमंत्रित की जाती हैं। अभ्यर्थी अपनी परिवेदनाए नीचे दिये गये लिंक पर भेज सकते हैं– http://grievance.recrajswasthya.org/ ऑफलाइन परिवेदनाएं स्वीकार्य नहीं होंगी।

(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर

क्रमाकः– अराजपत्रित/भर्ती प्रकोष्ठ/म0स्वा0कार्य0/सीधी भर्ती 2018/2019/41 दिनाकः– 14.12.2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सहायक, मिशन निदेशक, एन.एच.एम., राजस्थान, जयपुर।
5. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
7. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त अन्तरिम वरियता सूची को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड करें।
8. रक्षित पत्रावली।

(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर

Computer L/ Dextop/ANM/wordfile/notesheet/